समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल /संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

47. (1) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम जो इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरंत पूर्व प्रवृत्त हैं निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त राज्य /संघ राज्यक्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन लंबित सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उक्त राज्य /संघ राज्यक्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएंगी जैसे कि वह अधिनियम प्रवृत्त बना रहता यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं होता ।

पहली अनुसूची

[धारा 4(1) देखें]

किराएदारी की सूचना के लिए प्ररूप

सेवा में,

किराया प्राधिकरण,

---------- (पता)

1. भूस्वामी का नाम और पता :

   ई मेल आईडी और संपर्क ब्यौरे साहित (यदि उपलब्ध है)

2. संपत्ति प्रबंधक (यदि कोई हो) का नाम और पता :

   ई मेल आईडी और संपर्क ब्यौरे साहित (यदि उपलब्ध है)

3.	किराएदार का (के) नाम और पता, ई मेल आईडी और संपर्क ब्यौरे साहित (यदि उपलब्ध है)	:	----------
4.	पूर्व किराएदारी, यदि कोई हो का विवरण	:	----------
5.	किराएदार को दिए गए परिसर का विवरण, संलग्न भूमि, यदि कोई हो सहित	:	----------
6.	तारीख जिससे किराएदार को कब्जा दिया गया है	:	----------
7.	धारा 8 के अनुरूप संदेय किराया	:	----------
8.	किराएदार को उपलब्ध कराए गए फर्नीचर और अन्य उपस्कर	:	----------
9.	अन्य संदेय प्रभार (क) विद्युत (ख) जल (ग) अतिरिक्त साज-सामान, फिटिंग और फिक्सचर (घ) अन्य सेवाएं	:	----------
10.	किराया या पट्टा या किराएदारी का करार संलग्न करें	:	----------
11.	किराएदारी की अवधि (अवधि जिसके लिए किराए पर दिया गया)	:	----------
12.	भू-स्वामी का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)	:	----------
13.	भू-स्वामी की आधार संख्या	:	----------
14.	किराएदार का स्थायी खाता संख्यांक (पैन):	:	----------

15. किराएदार की आधार संख्या : ------------------------------

भू-स्वामी का नाम और हस्ताक्षर किराएदार का नाम और हस्ताक्षर

भू-स्वामी की फोटो	किराएदार की फोटो

संलग्नक:
किराया/पट्टा करार ।
भू-स्वामी की पैन और आधार की स्व-अनुप्रमाणित प्रति ।
किराएदार की पैन और आधार की स्व-अनुप्रमाणित प्रति ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 15(1) देखें]

भू-स्वामी और किराएदारों के बीच अनुरक्षण उत्तरदायित्व का विभाजन

किराएदारी करार में यदि अन्यथा सहमति न हो तो भू-स्वामी भाग क के अधीन आने वाले विषयों से संबंधित मरम्मतों के लिए उत्तरदायी होगा और किराएदार भाग ख के अधीन आने वाले विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

भाग-क:

भू-स्वामी के उत्तरदायित्व

1. संरचनात्मक मरम्मतें, सिवाय उनके जो किराएदार के द्वारा कारित नुकसान के कारण आवश्यक हो गए हैं
2. दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग और दीवारों की पुताई
3. जब आवश्यक हो नलों के पाइपों की मरम्मत और बदलना
4. जब आवश्यक हो आंतरिक और बाह्य इलैक्ट्रिक वायरिंग और संबंधित अनुरक्षण